कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजमगढ़।

पत्रांक 3813 /अभि/नजारत/2014–15 दिनांक 7-2-15

अल्पकालिक निविदा सूचना

स्वयं सहायता समूह द्वारा के स्ट्राट अप काष्ट के अन्तर्गत लेने वाले सामानो की दर आयकर एवं व्यापार कर में पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से निम्न विवरण के अनुसार सामानों की आपूर्ति हेतु दर आमंत्रित की जाती है।

क्र0 स0	वस्तु का नाम	स्पेशिफीकेशन का विवरण
1	जिंक कोडेट पेटी जी.आई0शीट(जिंकबाक्स)	पेटी का आकार(इंच मे)–(लम्बाइ X चौड़ाई Xऊचाई) 30"X12" X 18" मोटाई न्युनतम–35एम.एम. 1 पेटी के मध्य में यू.पी.एस.आर.एल.एम. का लोगों प्रिन्ट करना होगा।
2	ताला	65 एम.एम. 7 लीवर, डबल लाक।
3	दरी	दरी का आकार–15 फीट X 10 फीट काटन की दरी, वजन3 से 4 किलोग्राम
4	कैलकुलेटर	12 डिजिट कैलकुलेटर, सोलर एवं बैट्री द्वारा संचालित।
5	स्टाम्प पैड	स्टाम्प पैड का आकार–70 X 110 एम.एम.।
6	समूह की मोहर	अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ....स्वयं सहायता समूह विकास खण्ड....................................जिला.................................... उत्तर प्रदेश। समूह की मोहर उपरोक्त प्रारूप में बनेगी।

उक्त कार्य हेतु विभागीय निविदा प्रपत्र पर सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.02.2015 से 11.02.2015 समय 12:00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय कार्य दिवस में नाजिर डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 11.02.2015 को अपरान्ह 02:00 बजे से 3:30 बजे तक सील बन्द निविदा बाक्स में डाली जायेगी तथा उसी दिन सांय 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के कक्ष में खोली जायेगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार समिति के अध्यक्ष में निहित होगा। निविदा की अन्य शर्ते निम्नवत् है।

1– निविदादाता का व्यापारकर एवं आयकर में पंजीकरण अनिवार्य होगा जिसकी स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

2– निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0–1.00 लाख का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा।

3– निविदादाता को समानों की आपूर्ति सम्बन्धित समस्त विकास खण्डों में अपनी स्वयं की व्यवस्था कर पहुंचाना होगा।

4– आपूर्ति किये जाने वाले समानों का नमूना प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार होना चाहिए।

5– आपूर्ति किये गये समानों की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6– आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर सम्पूर्ण समानों की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– बिलो के भुगतान दर आपूर्ति समानों की गुणवत्ता एवं विलम्ब को देखते हुए कटौती का अधिकार समिति के अध्यक्ष में निहित होगा।

8–पूर्व में जिन फर्मो द्वारा टेण्डर दिनांक–04.02.2015 को डाला गया था यदि उनके द्वारा धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया गया है तो उन्हे धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न नही करना है।

9– किसी भी विवाद की दशा में जनपद आजमगढ़ में मा0 न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।

(एस0के0 पाण्डेय)
उपायुक्त स्वतः रोजगार
आजमगढ़

पत्रांक 3813 /अभि/नजारत/2014–15 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–1– विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, एवं दैनिक जनसंदेश को इस आशय से कि उक्त निविदा का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में एक दिन प्रकाशित कराते हुए डी0ए0वी0पी0 दर के अनुसार भुगतानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 आजमगढ़ को इस आशय कि जनपद की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़।

4– डिस्पैचर डी0आर0डी0ए0 को इस निर्देश के साथ कि विकास भवन के सूचना पट पर चस्पा करायें।

उपायुक्त स्वतः रोजगार
आजमगढ़।